सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या- 06/2023/1075/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2023**

विषय:- माननीय संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन हेतु संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02 (सं0शि0)/2015 दिनांक-18-10-2017 एवं तदक्रम में निर्गत क्रमशः शासनादेश संख्या-05/ 2018/1038/90-सं0शि0प0का0/18-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-16-10-2018, शासनादेश संख्या-02/ 2019/1155/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-22-10-2019, शासनादेश संख्या-02/ 2021/311/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-23-03-2021 एवं शासनादेश संख्या-06/2021/1365/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-11-11-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/539/90-सं0शि0प0का0/2022-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-14-06-2022 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/200/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-03-02-2023, तथा शासनादेश संख्या-05/2023/700/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-27-04-2023, निर्गत है, जो यू0पी0 शासनादेश की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि मा0 विधान सभा सदस्यों के प्रोटोकाल-उल्लंघन संबंधी प्रकरणों पर उ0प्र0 विधान सभा की मा0 संसदीय अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 01-02-2023, 10-04-2023 एवं 02-08-2023 में विचार-विमर्श करते हुए मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा यह पाया गया कि मा0 सदस्यों के फोन कॉल को जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों के द्वारा गम्भीरता से नही लिया जा रहा है। मा0 सदस्यों के फोन कॉल पर उन्हें समुचित सम्मान सहित वार्ता नहीं की जाती है तथा मिस्ड कॉल होने पर मा0 सदस्यों को कॉल-बैक भी अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता है। मा0 सदस्यों के प्रति जनपदीय अधिकारियों के इस प्रकार अनुचित व्यवहार पर काफी अप्रसन्नता उक्त बैठकों में मा0 अध्यक्ष के द्वारा व्यक्त की गयी है तथा संसदीय कार्य विभाग से यह अपेक्षा की गयी है कि इस संबंध में निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3- उल्लेखनीय है कि उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित मा0 सदस्यों के फोन कॉल के संबंध में शासनादेश दिनांक-11-11-2021 दिनांक-14-06-2022 एवं दिनांक-03-02-2023 निर्गत हैं, जिनमें यह अपेक्षा की गयी है कि अधिकारीगण मा0 सदस्यों का फोन नम्बर सेव (Save) /संरक्षित करेंगे तथा उनका फोन आने पर अनिवार्य रूप से उत्तर देंगे। अधिकारीगण के बैठक में होने/अनुपलब्ध होने की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दशा में मा0 सदस्यों के कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर उन्हें कॉलबैक करेंगे। उक्त निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

4 - अतः प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को आदेशित किया जाए कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र के मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के सी0यू0जी0 नम्बर अथवा उनके द्वारा नोट कराये गये अन्य मोबाईल नम्बर को अनिवार्य रूप से अपने मोबाईल में सेव (Save)/संरक्षित किया जाए तथा इसकी अनुपालन आख्या 15 दिवस के अन्दर प्राप्त कर, अपने विभाग की संकलित सूचना 01 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रत्येक दशा में संसदीय कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

5- इसी क्रम में यह भी उल्लेख करना है कि मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के फोन कॉल आने पर उन्हें तत्परता से सम्मानपूर्वक सुना जाए तत्पश्चात शालीनतापूर्वक जवाब दिया जाए। किसी महत्वपूर्ण बैठक/मा0 न्यायालय के समक्ष होने की स्थिति में उनका कॉल आने पर उन्हें मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाए कि उन्हें शीघ्र कॉलबैक किया जायेगा। मा0 सदस्यों के फोन कॉल पर प्राप्त प्रकरणों को निस्तारित करते हुए उन्हें यथासंभव प्राथमिकता के आधार पर अवगत भी कराया जाए। अन्यथा की स्थिति में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियम संगत कार्यवाही की जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से इस शासनादेश के क्रम में संबंधित समस्त अधिकारियों को स्वतः स्पष्ट आदेश/शासनादेश निर्गत करते हुए उसकी प्रति संसदीय कार्य विभाग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0पी0सिंह-II)
प्रमुख सचिव।

संख्या-06/2023/1075(1)/90-सं0शि0प0का0/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पूनम त्रिवेदी)
विशेष सचिव एवं
अपर विधि परामर्शी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in